छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार,दिनांक 20 जुलाई, 2023 (आषाढ़ 29, 1945)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2022–2023 के बजट की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे।

(3) श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री रविन्द्र चौबे, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :–

(i) एफ 5–7/आठ–परि./2023, दिनांक 23 मार्च, 2023 तथा

(ii) एफ 5–7/आठ–परि./2023, दिनांक 10 अप्रैल, 2023 पटल पर रखेंगे।

(6) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(7) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक–एफ 10–64/2009/खाद्य/29–2, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 पटल पर रखेंगे।

(8) श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 पटल पर रखेंगी।

(9) श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री, राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 पटल पर रखेंगी।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य, राज्य में संचालित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विश्वविद्यालय के मापदण्ड का पालन नहीं किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(2) श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा अंतर्गत तहसील नवागढ़ के ग्राम बरगांव में भू–माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर बिक्री किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां एवं पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(3) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का षष्ठम्, सप्तम् एवं अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

(4) श्री लखेश्वर बघेल, सभापति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(5) श्री कुलदीप जुनेजा, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का बीसवां, ईक्कीसवां, बाईसवां, तेईसवां चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां एवं अट्ठाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 3

5. मंत्री का वक्तव्य

डॉ. शिव कुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, दिनांक 06 मार्च, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–03 (क्रमांक–258) एवं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या–29 (क्रमांक–391) के उत्तर के संबंध में वक्तव्य देंगे।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

1 घंटा (1) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (2) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक,2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 घंटा (3) श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

7. मंत्रि–मंडल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, प्रस्ताव करेंगे कि –

''यह सदन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं उनके मंत्रि–मंडल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।''

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 19 जुलाई, 2023

छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार,दिनांक 20 जुलाई, 2023 (आषाढ़ 29, 1945)

समय 11:00 बजे दिन

का संशोधन

गुरूवार दिनांक 20 जुलाई, 2023 की दैनिक कार्य सूची के पद क्रमांक 3 – नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण के उप पद (1) में उल्लेखित **"चिकित्सा शिक्षा मंत्री"** के स्थान पर **"उच्च शिक्षा मंत्री"** संशोधित कर पढ़ा जाये।

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 19 जुलाई, 2023